न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 15/2017 **दायर तारीख : 10.03.2017**

1. जयराम पुत्र सुवा
2. बरफी देवी पत्नि सुवा

समस्त जाति खारवाल निवासी पालडी तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0

––वादीगण

बनाम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. दडकली पत्नि सोणा (फौत)
2. गोकुल
3. पप्पू
4. सांवताराम

(क्र. 2 से 4) पुत्रान सोणा

5. भगवान सहाय पुत्र प्रभात

(क्र. 1 से 5) जाति खारवाल निवासी पालडी तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0

6. उपपंजीयक तहसील विराटनगर
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील विराटनगर, जयपुर

–– प्रतिवादीगण

8. शांति देवी पत्नि शेरसिंह
9. राहुल पुत्र शेरसिंह

(क्र. 8 व 9) जाति खारवाल निवासी पालडी तह0 विराटनगर जिला जयपुर राज0

––तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री गणपत लाल पंसारी, अधिवक्ता वादिया
एकपक्षीय कार्यवाही प्रतिवादीगण [illegible] प्रतिवादीगण
पैरोकार सरकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:47:57 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

निर्णय दिनांक :– 25.09.2019

1. वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार रहे कि वाके ग्राम पालडी के खाता संख्या 68 में दर्ज खसरा नंबर 115/768/0.08, 116/0.75, 147/0.26, 148/0.04, 149/0.48, 155/0.07, 156/0.36, 157/0.24, 158/0.21, 159/0.22, 160/0.22, 161/0.18, 162/0.46, 240/767/0.15 कुल किता 14 रकबा 3.72 हैक्टेयर वादी एवं प्रतिवादी 1 लगायत 5 एवं तरतीबी

मुतनाजा के बाहमी बंटवारे में वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण खसरा नंबर 155/0.7, 156/0.36, 158/0.21, 160/0.22, एवं 116 का 1/3 हिस्से एवं खसरा नंबर 115/768 का 1/3 हिस्से में काश्त करते है। एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 खसरा नंबर 149/0.48, 157/0.24, 161/0.18 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 115/768 व 116 का हिस्से 1/3 एवं खसरा नंबर 148 के हिस्से 1/2 पर काश्त करते है। एवं प्रतिवादी संख्या 5 खसरा नंबर 159/0.22, 147/0.26, 162/0.46 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 115/768 व 116 के हिस्से 1/3 एवं खसरा नंबर 148 के हिस्से 1/2 पर काश्त करता हैं। एवं खसरा नंबर 240/767 रकबा 0.15 हैक्टेयर सभी का शामलाती है। यह है कि वादी एवं प्रतिवादी गण बाहमी बंटवारे के हिसाब से अच्छी में अच्छी व बुरी में बुरी के हिसाब से भूमि का विभाजन करके अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे है। परन्तु आराजी मुतनाजा का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है। प्रतिवादीगण, वादी को एलानिया धमकियां देता है, जिससे शामिल खाते में काश्त करना संभव नहीं रहा है। अतः निवेदन है कि ग्राम पालडी के खाता संख्या 68 में दर्ज खसरा नंबर 155/0.7, 156/0.36, 158/0.21, 160/0.22 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 116/0.75 का हिस्से 1/3, एवं खसरा नंबर 115/768/0.08 के हिस्से 1/3 का वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण को पृथक से खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। पर्चा पास बुक जारी किया जावें तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे साथ प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण को बंटवारे में प्राप्त आराजी में किसी प्रकार की दखल नहीं करें।

2. वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्जावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी खाता संख्या 68 संवत् 2072–2075, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम पालडी आदि पेश किए है।

3. दावा बाद जांच दर्ज पंजीका कर प्रतिवादीगण की तल्बी की गई। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 की फौत होने से नाम हजफ किया गया। शेष प्रतिवादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण शामिल अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। पेशी पर ... उपस्थित।

4. पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट पालडी में पेश होने पर पक्षकार उपस्थित हुए तथा लोक अदालत की भावना से प्रकरण में राजीनामा हेतू समझाइश की गई। परन्तु वादी एवं प्रतिवादीगण की तरफ से राजीनामा पेश नहीं किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:47:57 IST
Reason: SelfAttested

5. तारीख पेशी दिनांक 11.04.2019 को वकील वादीगण की बहस प्राथमिक डिक्री सुनी गई। प्रकरण प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार विराटनगर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों एवं

6. तहसीलदार विराटनगर द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पेश की गई

7. विद्वान अधिवक्ता वादीगण एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।

8. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया। वाके ग्राम पालडी के खाता संख्या 68 में दर्ज खसरा नंबर 115/768/0.08, 116/0.75, 147/0.26, 148/0.04, 149/0.48, 155/0.07, 156/0.36, 157/0.24, 158/0.21, 159/0.22, 160/0.22, 161/0.18, 162/0.46, 240/767/0.15 कुल किता 14 रकबा 3.72 हैक्टेयर वादी एवं प्रतिवादी 1 लगायत 5 एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2072–2075 है। आराजी मुतनाजा का वादी एवं प्रतिवादीगण ने बाहमी बंटवारा कर रखा है। आराजी मुतनाजा के बाहमी बंटवारे में वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण खसरा नंबर 155/0.7, 156/0.36, 158/0.21, 160/0.22, एवं 116 का 1/3 हिस्से एवं खसरा नंबर 115/768 का 1/3 हिस्से में काश्त कर रहे है। एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 खसरा नंबर 149/0.48, 157/0.24, 161/0.18 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 115/768 व 116 का हिस्से 1/3 एवं खसरा नंबर 148 के हिस्से 1/2 पर काश्त करते है। एवं प्रतिवादी संख्या 5 खसरा नंबर 159/0.22, 147/0.26, 162/0.46 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 115/768 व 116 के हिस्से 1/3 एवं खसरा नंबर 148 के हिस्से 1/2 पर काश्त करता हैं। एवं खसरा नंबर 240/767 रकबा 0.15 हैक्टेयर सभी का शामलाती है। यह है कि वादी एवं प्रतिवादी गण बाहमी बंटवारे के हिसाब से अच्छी में अच्छी व बुरी में बुरी के हिसाब से भूमि का विभाजन करके अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे है। परन्तु आराजी मुतनाजा का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है। प्रतिवादीगण, वादी को एलानिया धमकियां देता है, जिससे शामिल खाते में काश्त करना संभव नहीं रहा है। वकील वादी के बहस बाद मनन कर प्रकरण प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार विराटनगर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार दोनो पक्षों की उपस्थिति में रास्ता का प्रावधान रखते हुए बंटवारा तैयार कर न्यायालय में पेश करने की तहरीर जारी की गई। तहसीलदार विराटनगर का बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 27.06.2019 को प्राप्त हुआ है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 अनुरूप दोनो पक्षों की उपस्थिति में रास्ता का प्रावधान रखते हुए बनाया गया है। वकील वादी ने तहसीलदार विराटनगर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट पर आपत्ति पेश कि गई, जिसे स्वीकार कर तहसीलदार विराटनगर से पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट पेश करने हेतु तहरीर जारी की गई है। तहसीलदार विराटनगर द्वारा पुनः बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 18.09.2019 को प्राप्त हुआ है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 18:47:57 IST
Reason: SelfAttested

पक्षकार को बंटवारा प्रस्ताव पढकर समझाया गया जिस पर अधिवक्ता वादी ने प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव अनुसार दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। अतः दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाना न्यायसंगत है।

9. वादीया ने अपने वादपत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः वादीगण का वादपत्र डिक्री किये जाने योग्य है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आदेश

वादिया का वादपत्र मुताबिक पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	गोकुल, सांवतराम, पप्पू पिता सोणा, प्रभाती पुत्री सोणा, दडकली पत्नि स्व0 सोणा जाति खारवाल सा. देह	116/0.2951, 157/0.2113, 149/0.4536, 161/0.18 हैक्टेयर
2	जयराम पुत्र सुवा, बरफी देवी पत्नि स्व. सुवा हिस्सा 2/3 राहिन RMGB शाखा मैड शांतिदेवी पत्नि स्व. शेरसिंह , राहुल पुत्र शेरसिंह हिस्सा 1/3 जाति खारवाल सा. देह	116/1/0.3349, 155/0.0615, 158/0.2091, 160/0.1945, 156/0.36 हैक्टेयर
3	भगवान सहाय पुत्र प्रभात जाति खारवाल सा. देह राहिन ICICI बैंक शाखा मनोहरपुर मूर्तहीन	115/768/0.08, 116/2/0.12, 159/0.22, 162/0.46, 147/0.26 हैक्टेयर
4	गोकुल, पप्पू, सांवतराम पिता सोणा, प्रभाती पुत्री सोणा, दडकली पत्नि स्व0 सोणा हिस्सा 1/2 बिलारहन भगवानसहाय पुत्र प्रभात हिस्सा 1/2 राहिन ICICI बैंक शाखा मनोहरपुर मूर्तहीन	148/0.04 हैक्टेयर
5	गोकुल, पप्पू, सांवतराम पिता सोणा, दडकली पत्नि स्व0 सोणा, प्रभाती पुत्री सोणा हिस्सा 1/3 बिलारहन जयराम पुत्र सुवा, बरफी देवी पत्नि स्व. सुवा	155/1/0.0085, 157/1/0.0287, 158/1/0.0009 160/1/0.0135

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:47:57 IST
Reason: SelfAttested

	राहुल पुत्र शेरसिंह हिस्सा 1/9 बिलारहन भगवानसहाय पुत्र प्रभात हिस्सा 1/3 राहिन ICICI बैंक शाखा मनोहरपुर मूर्तहीन जाति खारवाल सा. देह	149/1/0.0264 हैक्टेयर
6	गोकुल, पप्पू, सांवतराम पिता सोणा, दडकली पत्नि स्व0 सोणा, प्रभाती पुत्री सोणा हिस्सा 1/3 बिलारहन जयराम पुत्र सुवा, बरफी देवी पत्नि स्व. सुवा हिस्सा 2/9 राहिन RMGB शाखा मैड शांति देवी पत्नि स्व. शेरसिंह, राहुल पुत्र शेरसिंह हिस्सा 1/9 जाति खारवाल सा. देह खातेदार सुमेधा मोदी पत्नि संजय मोदी हिस्सा 1/3 जाति महाजन सा.म.नं. 513 बी मुंशीदास जी का रास्ता गंगापोल जयपुर खातेदार	240/767/0.15 हैक्टेयर

सत्यमेव जयते
Certified Copy - Not Official

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। यदि किसी प्रकार का बैंक रहन हो, तो पक्षकार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उभय पक्ष को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे में प्राप्त एक–दूसरे के खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग–उपभोग शान्तिपूर्वक करे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 25.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:47:57 IST
Reason: SelfAttested

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी मुकाम विराटनगर

बइजलास :– राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस.

1. जयराम पुत्र सुवा
2. बरफी देवी पत्नि सुवा

समस्त जाति खारवाल निवासी पालडी तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0

——वादीगण

बनाम

1. दडकली पत्नि सोणा (फौत)
2. गोकुल
3. पप्पू
4. सांवताराम

(2–4) पुत्रान सोणा

5. भगवान सहाय पुत्र प्रभात

(1–5) जाति खारवाल निवासी पालडी तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0

6. उपपंजीयक तहसील विराटनगर
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील विराटनगर, जयपुर

—— प्रतिवादीगण

8. शांति देवी पत्नि शेरसिंह
9. राहुल पुत्र शेरसिंह

(8–9) जाति खारवाल निवासी पालडी तह0 विराटनगर जिला जयपुर राज0

——तरतीबी प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मुकद्मा नम्बर/नजरसानी संख्या 15/2017 **दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा** यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रूबरू **श्री गणपत लाल पंसारी** व हाजरी ....मिन जानिब मुद्दई रूबरू **पेरोकार सरकार** कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश होकर निवेदन किया है कि ग्राम पालडी के खाता संख्या 68 में दर्ज खसरा नंबर 155/0.7, 156/0.36, 158/0.21, 160/0.22 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 116/... का हिस्से 1/3, एवं खसरा नंबर 115/768/0.08 के हिस्से 1/3 ... तरतीबी प्रतिवादीगण को पृथक से खातेदार काश्तकार घोषित किया ... पर्चा पास बुक जारी किया जावें तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद क... जावे साथ प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण को बंटवारे में प्राप्त आराजी में किसी प्रकार की दखल नहीं करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:47:57 IST
Reason: SelfAttested

सुना गया। प्रकरण में तहसीलदार विराटनगर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 22 के अनुरूप बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त किया गया। बंटवारा प्रस्ताव अनुसार दावा डिक्री किये

अतः हुक्म दिया जाता है कि वादिया का वादपत्र मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	गोकुल, सांवतराम, पप्पू पिता सोणा, प्रभाती पुत्री सोणा, दडकली पत्नि स्व0 सोणा जाति खारवाल सा. देह	116/0.2951, 157/0.2113, 149/0.4536, 161/0.18 हैक्टेयर
2	जयराम पुत्र सुवा, बरफी देवी पत्नि स्व. सुवा हिस्सा 2/3 राहिन RMGB शाखा मैड शांतिदेवी पत्नि स्व. शेरसिंह , राहुल पुत्र शेरसिंह हिस्सा 1/3 जाति खारवाल सा. देह	116/1/0.3349, 155/0.0615, 158/0.2091, 160/0.1945, 156/0.36 हैक्टेयर
3	भगवान सहाय पुत्र प्रभात जाति खारवाल सा. देह राहिन ICICI बैंक शाखा मनोहरपुर मूर्तहीन	115/768/0.08, 116/2/0.12, 159/0.22, 162/0.46, 147/0.26 हैक्टेयर
4	गोकुल, पप्पू, सांवतराम पिता सोणा, प्रभाती पुत्री सोणा, दडकली पत्नि सोणा हिस्सा 1/2 बिलारहन भगवानसहाय पुत्र प्रभात हिस्सा 1/2 राहिन ICICI बैंक शाखा मनोहरपुर मूर्तहीन	148/0.04 हैक्टेयर
5	गोकुल, पप्पू, सांवतराम पिता सोणा, दडकली पत्नि स्व0 सोणा, प्रभाती पुत्री सोणा हिस्सा 1/3 बिलारहन जयराम पुत्र सुवा, बरफी देवी पत्नि स्व. सुवा हिस्सा 2/9 राहिन RMGB शाखा मैड मूर्तहीन शांति देवी पत्नि स्व. शेरसिंह, राहुल पुत्र शेरसिंह हिस्सा 1/9 बिलारहन भगवानसहाय पुत्र प्रभात हिस्सा 1/3 राहिन ICICI बैंक शाखा मनोहरपुर मूर्तहीन जाति खारवाल सा. देह	155/1/0.0085, 157/1/0.0287, 158/1/0.0009, 160/1/0.0135, 160/2/0.0120, 149/1/0.0264 हैक्टेयर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:47:57 IST
Reason: SelfAttested

6	गोकुल, पप्पू, सांवतराम पिता सोणा, दडकली पत्नि स्व0 सोणा, प्रभाती पुत्री सोणा हिस्सा 1/3 बिलारहन जयराम पुत्र सुवा, बरफी देवी पत्नि स्व. सुवा हिस्सा 2/9 राहिन RMGB शाखा मैड शांति देवी पत्नि स्व. शेरसिंह, राहुल पुत्र शेरसिंह हिस्सा 1/9 जाति खारवाल सा. देह खातेदार सुमेधा मोदी पत्नि संजय मोदी हिस्सा 1/3 जाति महाजन सा.म.नं. 513 बी मुंशीदास जी का रास्ता गंगापोल जयपुर खातेदार	240/767/0.15 हैक्टेयर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। यदि किसी प्रकार का बैंक रहन हो, तो पक्षकार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उभय पक्ष को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे में प्राप्त एक–दूसरे के खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग–उपभोग शान्तिपूर्वक करे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 25.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकरी
विराटनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:47:57 IST
Reason: SelfAttested

मुबलिक ....शून्य........................... बाबत ....शून्य........ खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत ....शून्य............. की सदी सलाना आज की तारीख बसूलयाबी तक ....शून्य..... का अदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख

25.09.2019 को जारी की गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा		स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प अरजी	
स्टाम्प बजह सबूत		महन्ताना वकील	
महन्ताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर		बबत इजराय	
बबत इजराय हुक्मनामा		हुक्मनामा	
		मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:47:57 IST
Reason: SelfAttested